–अस्सी–

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या सं0वि0क0नि0–5–495/11–2006–500(136)/2003
लखनऊ, दिनांक 08 फरवरी, 2006
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–44

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 19 जनवरी, 2005 से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0–5–305/11–2005–500 (136)/2003, दिनांक 19 जनवरी, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अन्त में आने वाले स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण–एक के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और यथा संख्यांकित स्पष्टीकरण–एक के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्पष्टीकरण–दो–पद ''प्रथम लिखत'' का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकाय, न्यास या कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त भू–खण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समायन्तरालों के पश्चात् निष्पादित किया जाता है तो उसका तात्पर्य ऐसे समस्त अन्तरण लिखतों से है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. S.V.K.N. 5-495/XI-2006-500(136)-2003, dated February 08, 2006 for general information:

No. S.V.K.N. 5- 495/XI-2006-500(136)-2003
Lucknow, Dated February 08, 2006
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make with effect from January 19, 2005, the following amendment in Government notification no. K.N. 5-305/XI-2005-500 (136)/2003, dated January 19, 2005.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, the Explanation appearing in the end shall be numbered as Explanation-l and after Explanation-I as so numbered the following Explanation shall be inserted, namely :-

Explanation-2: The term 'first instrument' means an instrument necessary for the transfer of all the pieces of land required by the enterpreneur who may be a person, body, trust or company and if more than one transfer deed is executed after intervals of time to complete such transaction then all such instruments of transfer.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.